

दिनांक	न्यायालय उपखंड अधिकारी हुवम या कार्यवाही पंक्ति सुनिश्चित करने के लिए कलक्टर करेगा (पंक्तिवाली) 5.6. 19/17	नम्बर व अहकाम हुवम की में जारी
--------	--	---

23/10/17

उपरोक्त न्यायालय उपखंड अधिकारी के द्वारा लेन देन होकर प्राप्त हुए प्रकरण वर्ज कर प्रकरण को अविद्यता को जारी कर एंजिनेयर्स को सुनिश्चित करे।
 पत्रावली दिनांक 4/12/15 को वास्तु बागान से कार्यवाही हेतु पेश की।

उपरोक्त अधिकारी पदेन
 कलक्टर करेगा

पत्रावली

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अन्वयित कर मर्तबा आवाजे लगाने के उपरान्त भी कोई उपाधित नहीं हुआ। अतः पुकरण अदम लपरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश करने के बाद पत्रावली पेश है, नम्बर से फर्म की जाँच।

उपरोक्त अधिकारी पदेन
 कलक्टर करेगा